राजस्थान–सरकार

न्यायांयल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या– 195/22 प्रा0पत्र

रघुनाथ s/o उदेराम जाट निवासी– बाछ्या कीखेड़ी तहसील- मांडल

–प्रार्थी

बनाम

जीतू s/o उदयराम जाट निवासी – बाछ्या कीखेड़ी तहसील-मांडल
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० मांडल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनाक :–

::आदेश::

...ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ... ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके ...त खाते की आराजी नं 2189/2, 2190/2 कुल किता 02 रकबा 0.6450 ...त है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाशिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये ... सम्बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ...के आदेश प्रदान कराये जावें।

...ना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 19.12.22 को पजीवद्व किया जाकर प्रकरण को ...से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का ...। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते ...की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

...र्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसवा पटवार ...लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी न 2189/2, 2190/2 ... 02 रकबा 0.6450 हेक्टयर भूमि के चारां तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ...हेतु पत्थगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख लेसवा को 500/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने ...शन की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार ...पत्थगढ़ी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थगढ़ी नहीं की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

...पि– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ...ही की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

2-21

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7.2.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

7/2/23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:08:04 IST
Reason: SelfAttested